न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 71/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
कानाराम पुत्र भीखाराम जाति मेघवाल निवासी कानासर जिला जोधपुर		1–किसनाराम पुत्र नेताराम जाति मेघवाल निवासी बावडी बरसींगा तहसील बाप जिला जोधपुर जरिये आम मुख्त्यार नाजमसिह पुत्र मिठूसिह जाति मजहबी निवासी बुर्जवाला तहसील करणपुर जिला गंगानगर 2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप जिला जोधपुर 3–भू अभिलेख निरीक्षक बाप 4–पटवारी हल्का बाप 5–मोहनलाल पुत्र तुलसीराम 6–आईदान पुत्र जोधाराम 7–हनुमानराम पुत्र पेमाराम 8–इन्द्रलाल पुत्र तुलछीराम रेस्पो0संख्या 5 से 8 जातियान कुमावत निवासीगण बाप, जिला जोधपुर 9–मांगीलाल पुत्र अचलदास जाति जैन निवासी फलोदी, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 20–3–2018 जो उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 235/2013 अनवान किसनाराम बनाम तहसीलदार बाप वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सिद्धार्थ परिहार, पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री चेतनराम जाखड, अधिवक्ता रेस्पो0 1 एवं 5 से 9 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 3–10–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 किसनाराम पुत्र नेताराम ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का तरमीम दुरस्त करवाने बाबत प्रस्तुंत कर कथन किया कि प्रार्थी ने खसरा नंबर 911/2 रकबा 59 बीघा 04 बिस्वा भूमि खरीद की है तथा वक्त खरीद से प्रार्थी ही उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। उक्त खसरा नंबर 911/2 के शेष 10 बीघा भूमि के नये खसरा नंबर 922/2 /3 मे औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन हो चुका है जो नेशनल हाई वे नंबर 15 पर स्थित है जिस पर होटलें, दुकाने आदि बनी हुई है तथा प्रार्थना पत्र मे यह भी उल्लेख किया कि खसरा नंबर 911/2 की तरमीम पहले नही थी परंतु बाद मे पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार उपनिवेशन बाप ने प्रार्थी को सुने बिना तथा

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

बाले–बाले खसरा नंबर 911/2 की गलत तरमीम करते हुए प्रार्थी की भूमि नेशनल हाईवे से दूर बताते हुए बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के कर दी, जिसकी दुरस्ती करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–3–18 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत तरमीम दुरस्ती का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए ग्राम बाप के खसरा नंबर 911/1 तथा खसरा नंबर 911/2 की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार बाप को आदेशित किया कि खसरा नंबर 911/1 एवं खसरा नंबर 911/2 की वर्तमान तरमीम को हटाकर तहसीलदार फलोदी की दिनांक 16–10–2007 की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट के माफिक खसरा नंबर 911/2 के स्थान पर 911/1 की तरमीम की जावें तथा खसरा नंबर 911/1 के स्थान पर खसरा नंबर 912/2 की तरमीम उनके रकबा माफिक मापकर की जावे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय से अपीलांट व्यथित पक्षकार होने से अपीलांट ने इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति अपील पेश करने के साथ पेश की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तओं की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता की बहस प्रारंभ करने से पूर्व ही रेस्पो0 अधिवक्ता ने आपत्ति प्रकट करते हुए कथन किया कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपीलांट को वर्तमान अपील पेश करने का अधिकार नही होने से इसी स्तर पर अपील खारीज करने का निवेदन किया तथा यह भी निवेदन किया कि इस न्यायालय की अपील के साथ जो अपील पेश करने की अनुमति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उसको अभी तक निर्णित नही किया है इसलिए सर्वप्रथम इस बिन्दु को निर्णित किया जाये ।

रेस्पो0 अधिवक्ता की उक्त आपत्तियो के क्रम मे अपीलांट अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर मे कथन किया कि अपीलांट कानाराम ग्राम बाप के खसरा नंबर 911/1 का सहखातेदार है जिसकी पुष्टि स्वरूप अपील के साथ ग्राम बाप की जमाबंदी संवत 2070–73 की सत्य प्रतिलिपी प्रस्तुत की है तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को पक्षकार बनाये तथा सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन निर्णय के द्वारा खसरा नंबर 911/1 एवं खसरा नंबर 911/2 की वर्तमान तरमीम को निरस्त कर तहसीलदार फलोदी की दिनांक 16–10–2007 की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट के माफिक खसरा नंबर 911/2 के स्थान पर खसरा नंबर 911/1 की तरमीम की जावें तथा खसरा नंबर 911/1 के स्थान पर खसरा नंबर 912/2 की तरमीम करने का आदेश पारित कर दिया इसलिए अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से सीधा व्यथित होने से अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने का अधिकार होने से इस अपील के साथ अपील पेश करने की अनुमति के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया ।

हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत ग्राम बाप की जमाबंदिया संवत 2070–73 जिसमे खसरा नंबर 911/1 एवं 911/2 के खातेदारान का उल्लेख है तथा नक्शा ट्रेस का भी अवलोकन किया । जिसके अनुसार अपीलांट

कानाराम अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 911/1 का सहखातेदार है जिसे अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके खातेदारी की भूमि की तरमीम निरस्त करने बाबत अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया होने से अपीलांट प्रभावित पक्षकार है इसलिए अपील के साथ प्रस्तुत अनुमति बाबत अपील पेश करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

अपील के गुणावगुण पर पक्षकारो के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलांट अपीलाधीन खसरा नंबर 911/1 का रेकर्डेड खातेदार है तथा रेस्पो0 संख्या 1 किसनाराम ने अपीलांट एवं अन्य सहखातेदारो को पक्षकार बनाये बिना बाले–बाले राजस्व नक्शे मे की गई तरमीम को दुरस्त करवाने का आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया तथा अपीलाधीन निर्णय पारित करवा लिया जबकि अपीलाधीन भूमि पर कब्जा अपीलांट का चला आ रहा है परंतु अेधीनस्थ न्यायालय ने कोई जांच करवाये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 किसनाराम ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत तरमीम दुरस्त करने का प्रस्तुत किया था जबकि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये केवल जमाबंदी मे हुए त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त करने का आदेश पारित किया जा सकता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने नक्शे मे तरमीम परिवर्तन करने का आदेश पारित कर दिया जबकि नक्शे मे तरमीम दुरस्ती के लिए धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे प्रावधान दिया हुआ है परंतु इस कानूनी प्रावधान पर गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 20–3–18 की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दिनांक 20–3–18 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई थी जिस पर आदेश पारित किया जाना था परंतु अंतिम निर्णय पारित कर दिया तथा उक्त निर्णय मे तहसीलदार फलोदी की दिनांक 16–10–2007 की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए उसके अनुरूप तरमीम परिवर्तन का आदेश पारित कर दिया जबकि तहसीलदार फलोदी की जांच रिपोर्ट भी हमारी अनुपस्थिति मे तैयार की गई है तथा तहसीलदार फलोदी ने जांच रिपोर्ट किसके आदेश से तैयार कर प्रस्तुत की, जिसको आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट के खसरा नंबर 911/1 का रकबा 60 बीघा है जबकि खसरा नंबर 911/2 का रकबा 49.04 बीघा है अथार्त दोनो खसरो का रकबा भी अलग–अलग है फिर भी अपीलाधीन निर्णय के द्वारा उक्त दोनो खसरो की तरमीम को निरस्त करते हुए राजस्व नक्शे मे स्थान परिवर्तन करते हुए खसरा

नंबर 911/1 के स्थान पर खसरा नंबर 911/2 की तरमीम करने का जो आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो मे कंवर नही होने से निरस्त करने तथा अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार कर राजस्व नक्शे मे तरमीम पूर्व अनुसार यथावत रखने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0गण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलांट ने जो मौखिक कथन किया है उन सभी का अपील मीमो के उल्लेख नही किया हुआ है अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0गण की ओर से अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र मे केवल धारा का गलत अंकन कर देने से कोई प्रभाव नही पडेगा हमने अधीनस्थ न्यायालय मे नक्शे मे तरमीम दुरस्ती की प्रार्थना की थी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना के अनुरूप जो आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0गण के अधिवक्ता ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट अपना कब्जा काश्त होना बताता है तो कब्जे के आधार पर सक्षम न्यायालय मे दावा पेश कर अपने अधिकारो की घोषणा करवाये । अंत मे वकील रेस्पो0गण ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करनै का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा उनके तर्को, दलीलो पर चिंतन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–3–18, तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध रेकर्ड तथा वर्तमान अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का भी गहनता से अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये रेस्पो0 ने तरमीम दुरस्त करने का निवेदन किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना विधिक प्रावधानो का अध्ययन किये उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर नक्शे मे की गई तरमीम को दुरस्त/परिवर्तन करने के आदेश पारित कर दिये जबकि तरमीम दुरस्ती के आदेश केवल धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे ही किये जा सकते है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही माना जा सकता है।

इसके अलावा पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम बाप की जमाबंदिया संवत 2070–73 का अवलोकन करने पर खसरा नंबर 911/1 का रकबा 60 बीघा एवं 911/2 का रकबा 49.04 बीघा है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने जिस तहसीलदार फलोदी की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 16–10–2007 को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट पर किसी भी खातेदारान के हस्ताक्षर नही है अथार्त उक्त

जांच रिपोर्ट एकतरफा तैयार कर प्रस्तुत की गई है तथा यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि तहसीलदार फलोदी की उक्त जांच रिपोर्ट मे उपखण्ड अधिकारी फलोदी के पत्र क्रमांक 184 दिनांक 1–9–2007 का प्रसंग दिया हुआ है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं आदेशिका के अवलोकन से यह भी प्रकट नही होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही दिनांक 22–10–2007 को प्रारंभ हुई अथार्त तहसीलदार फलोदी की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय ने तलब ही नही की थी फिर भी उक्त रिपोर्ट के आधार पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय देनांक 20–3–18 निरस्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 3–10–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर